माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

1. तुलसीराम पिता रामचंद्र जी पाटीदार आयु 80 वर्ष धन्धा–खेती
2. पार्वतीबाई पिता तुलसीराम पाटीदार आयु 45 वर्ष, धन्धा–खेती
दोनों निवासीयान– ग्राम तिरला तह. व जिला धार म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति सुतार
आयु 50 वर्ष, धन्धा–खेती
2. अजय पिता भागीरथ पाटीदार, जाति पाटीदार
आयु 47 वर्ष, धन्धा–खेती
दोनों निवासीयान–ग्राम तिरला तह. व जिला धार ....विपक्षीगण

निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 गुजब [illegible]

मान्यवर महोदय,

सेवा में, अत्यन्त विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम हसरतपुर की भूमि सर्वे नं. 244 कभी भी ओमप्रकाश व अजय की पीढ़ी दर पीढ़ी की नही रही ना उसका प्रमाण है जबकि उक्त भूमि अन्य की होकर यह बात प्रार्थीगण ने छिपाई है उसने नक्शा गलत पेश किया है । तुलसीराम व पार्वतीबाई की निजी भूमि में वह होकर जाना चाहता है जबकि सर्वे नं. 244 प्रार्थी का मुख्य मार्ग से लगा हुआ है और उसका पूर्व मालिक भी इसी स्थान से आता जाता रहा है ऐसा पता लगा है कि वह भूमि रामलाल व भागीरथ की नही रही है उसने छिपा कर दबा कर मुझ पार्वती व तुलसीराम की भूमि में छलयुक्त झूठा नक्शा पेश कर सरकारी नक्शे के विपरीत हाथ नक्शा पेश किया है वह सही नही है और इमरजेंसी भी नही है जिस साल की उसकी अर्जी है उस साल भी उसने अन्य मार्ग से अपनी भूमि सर्वे नं. 244 में फसल बोई है । ऐसी दशा में साम्य उसके पक्ष में नही है पंचनामें में भी जो स्वयं प्रार्थीगण की मौजदूगी में बना है उसमें भी अन्य मार्ग बताया है । अतः त्वरितता का कोई मुकदमा नही बनता है ऐसी दशा में अंतरिम राहत की अर्जी राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ–17/2016–17 दिनांक 01/11/2017 को जो आज्ञा दी है वह विचाराधिकाररहित है अधिकारों का दुरूपयोग है छल लिये हुए है कोई इमरजेंसी नही है मूल मामला ही पीढी दर पीढी झूठा फर्जी है । ऐसी दशा में वह स्वच्छ हाथों से नही आया है पीढ़ी दर पीढ़ी का कोई प्रमाण नही है इसके बावजूद न्यायालय तहसीलदार महोदय, धार ने राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ–13/2016–17 में दी गई आज्ञा अंतरिम सहायता की जिसे अपास्ति बाबद जो मुग्गम अस्पष्ट है रेकार्ड से हटकर है मौके से हटकर है इसे अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर कानून सम्मत पेश है :–

– आधार निगरानी --

1. यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा जिसे हमने चैलेंज किया है वह परवर्स है निगरानी में लेकर अपास्त होना अर्ज है ।

निरन्तर..........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./17/4851

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-10-2018	दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। पक्षकार को सूचित किया जाये। अध्यक्ष	